**वित्तीय स्वीकृति**

**संख्या-49/2015/2102/52-3-15-बजट(21)/2015**

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ :दिनांक 24 सितम्बर, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं-1966/अ0स0क0नि0/दशमो0छा0/टी0सी0/2015-16 दिनांक 31.08.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में पी0एफ0एम0एस0 साफ्टेयर से तकनीकी कारणों से ट्रान्जेक्शन रिजेक्ट होने के कारण तथा जनपद स्तर पर प्रक्रियात्मक जटिलता के फलस्वरूप छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गये छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 30,00,00,000/- (रू0 तीस करोड़ मात्र) का आय व्ययक प्राविधान कराया गया है।

प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से आय व्ययक में प्राविधानित उपरोक्त धनराशि रू0 30,00,00,000/-(रू0 तीस करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहमति प्रदान करते है

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं क□ छात्रवृत्ति व□□□□□ स्वरूप द□□ □□□□□ □□□□□ □□ माध्यम □□□□□□□□□□ बैंक □□□□में अन्तरित की □□□□

(2) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष व्यय □□□□□ □□विवरण □□□ □□□□□□ प्रमाण पत्र □□ फरवरी, 2016 की समाप्ति □□ □□□□ □□ उपलब्ध □□□□ जायेंगे।

(3) जिन विद्यालयों/मदरसों □□ विरूद्ध छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति के□□□□□ में □□□□□□□□□ की □□□□□ □□ □□□□□ छात्रवृत्ति की □□□□□ की □□□□□□□□□ की प्रबल □□□□□ □□ दृष्टिगत □□□□ □□□ □□ विद्यालयों/मदरसों □□ छात्र/छात्राओं क□ छात्रवृत्ति क□ □□□□□ छात्र/छात्राओं □□ सत्यापन □□□□□ ही किया □□□□□ यदि फिर □□ □□□□□ □□वितरण में किसी प्रकार की □□□□□□□□ प्रकाश में □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ अधिकारी पूर्ण रूप □□उत्तरदायी होंगें।

(4) □□□□□□ □□ □ □□□□ किसी प्रकार □□व्यय □□□□□□ प्राधिकार नहीं □□□ □□ जिन मामलों में □0प्र0 □□□ □□□□□ □□ वित्तीय नियमसंग्रहों तथा स्थायी आदेशों □□ अन्तर्गत राज्य □□□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□□ आवश्यक □□, □□ मामलों में व्यय □□□□□□□पूर्व □□□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर □□ □□□□

(5) छात्रवृत्ति के□ वितरण □□ □□□□ में □□□□ द्वारा □□□-□□□ □□ निर्गत शासनादेशों □□□□□□□□□□ □□ प्राविधानों का कड़□□ □□□□□□□□ सुनिश्चित किया □□□□□

(6) उक्त स्वीकृत □□□□□ □□सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2014-15 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं जिनके □□0□□0□□0□□0 साफ्टेयर □□तकनीकी कारणों □□ट्रान्जेक्शन □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ स्तर □□ प्रक्रियात्म जटिलता □□फलस्वरूप छात्रवृ□ □□ □□□□□ नहीं □□ □□□□ □□, □□ ही छात्रवृत्ति व□□ □□□□□ किया □□□□□

3- उपरोक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□□वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□ व्ययक □□ □□□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-□□□□□□ जातियों, अ□□□□□ जनजातियों त□□ अन्य पिछड़े वर्गों □□ कल्याण-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य व्यय-03- अल्पसंख्यकों का कल्याण-0303-अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों/ छात्राओं को छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तिया और छात्र वेतन के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 -ई0-11-1040/दस -15, दिनांक सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहेहै

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

**<u>संख्या-2102(1)/52-3-15-तददिनांक।</u>**

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3-मुख्य कोषाधिकारी, केसरबाग, लखनऊ ।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ /वित्त एवं लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -1

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in